

क्रमांक:-सहायता/बाढ/2019/127

दिनांक: 18-1-2021

प्रशासनिक स्वीकृति

दिनांक 29.8.2020 को तहसील सांभर क्षेत्र में हुई अत्यधिक वर्षा के फलस्वरूप हुये जलप्लावन के कारण प्रभावित ग्रामों में कच्चे आवासों की क्षति तहसीलदार, सांभर के पत्रांक 124 दि. 7.1.2020 के द्वारा प्रकरण निर्धारित प्रपत्र में एवं वांछित प्रमाण पत्र सहित प्राप्त हुआ है। जिसका परीक्षण किया गया तथा "राज्य आपदा मोचन निधि" के निर्धारित मानदण्डों के तहत नियमानुसार देय सहायता राशि की गणना किए जाने उपरान्त सहायता स्वीकृति योग्य पाए गए नीचे अंकित प्रकरण में उनके नाम के सामने अंकित राशि आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान के आदेश क्रमांक 32-7/2014-एन डी एम. 1 दि. 8.4.15 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसरण में भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.स.	प्रभावित का नाम मय वल्लिदयत	तहसील	ग्राम का नाम	क्षति का दिनांक	क्षति का प्रकार	देय राशि		
						केन्द्रीय मद 75 %	राज्य मद 25 %	योग
1	श्रीमती हाजरा बेगम/ स्व. श्री गुलाम मौहम्मद नि. फुलेरा	सांभर	फुलेरा	29.8.20	गम्भीर क्षति कच्चा घर	2400	800	3200
					योग	2400	800	3200

(अक्षरे रुपये तीन हजार दो सौ मात्र)

राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्नांकित बजट मद से किया जावेगा:-

मांग संख्या-34

2245-प्राकृतिक विपत्ती के कारण राहत

02-बाढ चक्रवात आदि

113-घर की मरम्मत, पुनःनिर्माण के लिये सहायता

(09)-बाढ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता

1051-क्षतिग्रस्त कच्चा घर

12-सहायतार्थ अनुदान [p]

- 1- राशि का व्यय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा इस कार्यालय द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।
- 2- उपरोक्त अंकित प्रभावितों के आवास की क्षति का आंकलन सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाने के आधार पर सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

अति. जिला मजिस्ट्रेट,
नगर-दक्षिण, जयपुर

दिनांक: 18-1-2021

क्रमांक:-सम/128-33

प्रतिलिपि:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर
- 2- वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
- 3- कोषाधिकारी जयपुर शहर/ग्रामीण
- 4- उपखण्ड अधिकारी, सांभर
- 5- तहसीलदार सांभर
- 6- गार्ड पत्रावली।

अति. जिला मजिस्ट्रेट,
नगर-दक्षिण, जयपुर